तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
24/3/2026	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। पत्रावली दि. 1/4/2026 को वास्ते इन्तजार रिपोर्ट (TDR) पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	P.D स्वीकार
25/3/26	पत्रावली में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश हुआ, जिसे स्वीकार किया गया। तहसीलदार बिजौलियाँ की रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है वादी अधिवक्ता द्वारा TDR रिपोर्ट को स्वीकार किया। पत्रावली को स्वीकार कर आदेश व डिक्री पारित किए गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 24 / 2025 **दायर दिनांक 09.04.2025**

अनवान

01. पन्नालाल पुत्र भुरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... डिक्रीदार

बनाम

1. राजकुमार पुत्र रमेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :- 25 / 03 / 2026

डिक्री दिनांक : 25 / 03 / 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ व विपक्षीगण एकपक्षीय को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :– निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम **ग्राम उत्तमनगर पटवार हल्का भोपतपुरा** के राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	पन्नालाल पुत्र भुरालाल धाकड़ सा. माजी साहब का खेड़ा सा. रहन BOB शाखा बिजौलियां	उत्तमनगर	150/1	0.4532
	योग		खसरा 01	**0.4532**
02	राजकुमार पुत्र रमेशचन्द्र धाकड़ सा. माजी साहब का खेड़ा	उत्तमनगर	150/2	0.5666
	योग		खसरा 01	**0.5666**
03	समलाती (दोनों पक्ष रास्ते के उपयोग हेतु छोड़ने पर सहमत हैं।)	उत्तमनगर	150/3	0.0405
	योग		खसरा 01	**0.0405**

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

नीज ....Nil.......................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 03 वर्ष 2026 को जारी किया गया।

नोट :– प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 25/03/2026 को मुर्तिब की गई।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां, भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	–		स्टाम्प अरजी दया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
मेहनताना वकील ( )	–		मेहनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 24 / 2025 दायर दिनांक 09.04.2025

अनवान

01. पन्नालाल पुत्र भुरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........वादी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र रमेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता वादी
02. एकपक्षीय – प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

दिनांक :– 25 / 03 / 2026

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 25.11.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा **ग्राम उत्तमनगर पटवार हल्का भोपतपुरा** तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 150 रकबा 1.0603 हैक्टेयर भूमि में वादी का 4/9 हिस्सा व प्रतिवादी का शेष 5/9 हिस्सा निहित हैं। **वादी का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये।** प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2026/272 दिनांक 25.02.2026 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

विभाजन परस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर** वादीगण की उपस्थिति मे तैयार करना भू अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो मे पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	पन्नालाल पुत्र भुरालाल धाकड़ सा. माजी साहब का खेड़ा सा. रहन BOB शाखा बिजौलियां	**उत्तमनगर**	150/1	0.4532
	योग		**खसरा 01**	**0.4532**
02	राजकुमार पुत्र रमेशचन्द्र धाकड़ सा. माजी साहब का खेड़ा	**उत्तमनगर**	150/2	0.5666
	योग		**खसरा 01**	**0.5666**
03	समलाती (दोनों पक्ष रास्ते के उपयोग हेतु छोड़ने पर सहमत हैं।)	**उत्तमनगर**	150/3	0.0405
	योग		**खसरा 01**	**0.0405**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां